1950 का उत्तर प्रदेशीय जूट की बनी वस्तुओं के नियंत्रण का अधिनियम

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1950 ई0)

UTTAR PRADESH JUTE GOODS (CONTROL) ACT, 1950

(U.P. Act No. XV of 1950)

1950 का उत्तर प्रदेशीय जूट की बनी वस्तुओं के नियंत्रण का अधिनियम[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1950 ई०)

[उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 9 मार्च, 1950 ई0 तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् ने दिनांक 13 मार्च, 1950 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 16 मार्च, 1950 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 मार्च, 1950 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

जूट की बनी वस्तुओं के उत्पादन, संभरण और वितरण के विनियमन के लिए

अधिनियम (ऐक्ट)

क्योंकि संयुक्त प्रांतीय जूट की बनी वस्तुओं के नियंत्रण का आर्डिनेन्स, 1949 द्वारा, जूट की बनी वस्तुओं के उत्पादन, सम्भरण (सप्लाई) और वितरण के विनियमन की व्यवस्था की गयी थी ;

और, क्योंकि, यह आवश्यक है कि उक्त आर्डिनेन्स के स्थान में राज्य के विधान मण्डल द्वारा अधिनियम बनाया जाय ;

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है,–

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का नाम "1950 का उत्तर प्रदेशीय जूट की बनी वस्तुओं के नियंत्रण का अधिनियम (ऐक्ट)" होगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

परिभाषा

2–इस अधिनियम में विषय और प्रसंग के विपरीत न होने पर,–

(क) "जूट की बनी वस्तुओं" के अन्तर्गत जूट से बनी हुई सब वस्तुएं है,

(ख) "कण्ट्रोलर" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन नियुक्ति जूट कण्ट्रोलर से है ;

(ग) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ।

कण्ट्रोलर की नियुक्ति

3–राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य के लिए किसी व्यक्ति को जूट कण्ट्रोलर नियुक्ति कर सकती है ।

जूट की वस्तुओं के उत्पादन, जुड़ाव और वितरण के नियन्त्रण के सम्बन्ध में कण्ट्रोलर का अधिकार

4–(1) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, कण्ट्रोलर, जूट की बनी वस्तुओं के उत्पादन, सम्भरण (सप्लाई) और वितरण को विनियमित करने, कायम रखने या बढ़ाने के लिए, जहाँ तक उसे आवश्यक और उपयुक्त प्रतीत हो लिखित आज्ञा द्वारा,–

(क) ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास जूट की बनी वस्तुओं का संचय (स्टाक) हो, यह आदेश दे सकता है कि वह उस संचय को या उसके किसी निर्दिष्ट अंश को ऐसे मूल्य पर और ऐसे व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 1 मार्च, 1950 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

सरकार और राज्य सरकार भी है), या ऐसी स्थिति में जो इस आज्ञा में निर्दिष्ट हो, बेचे ;

(ख) ऐसे व्यक्ति को जो जूट की वस्तुओं का उत्पादन करता हो, यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे निर्देशों का पालन करे जो उसे समय–समय पर उसके द्वारा उत्पादन किये जाने वाली या दिए जाने वाली जूट की बनी वस्तुओं के भेद, प्रकार और परिमाण (टाइप, क्वालिटी एण्ड क्वांटिटी) के संबंध में दिए जायें।

(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसको उपधारा (1) के अधीन आज्ञा दी गयी हो, यह कर्त्तव्य होगा कि किसी व्यक्ति के साथ कोई संविदा होते हुए भी वह उस आज्ञा का पालन करे ।

दण्ड

5–कोई व्यक्ति, जो धारा 4 के अधीन कन्ट्रोलर द्वारा दी गयी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, तीन वर्ष तक के कारावास या अर्थदण्ड या दोनो का भागी होगा ।

कारपोरेशनों के अपराध

6–यदि धारा 4 के अधीन कन्ट्रोलर द्वारा दी गयी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कम्पनी या कोई दूसरी कारपोरेट संस्था हो तो उसका प्रत्येक डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या दूसरा अफसर या एजेन्ट, जब तक कि वह यह प्रमाणित न कर दे कि उल्लंघन उसके अज्ञान में हुआ है, और यह कि उल्लंघन को रोकने के लिए उसने उचित परिश्रम किया है, ऐसे उल्लंघन का अपराधी माना जायगा ।

अपराध की अभिज्ञा

7–इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की अभिज्ञा (काग्निजेन्स) कोई न्यायालय तब तक नहीं करेगा जब तक कि कन्ट्रोलर कोई ऐसी लिखी रिपोर्ट न दे जिसमें उस अपराध के संगठन की सब बात हों ।

इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की रक्षा

8–(1) कोई दावा, फौजदारी का अभियोग या दूसरी कानूनी कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे काम के लिए नहीं की जायगी जिसे उसने धारा 4 के अधीन दी हुई किसी आज्ञा के अनुपालन में सद्भावना से किया हो या करने का विचार किया हों।

(2) कोई दावा या कानूनी कार्यवाही राज्य सरकार या कन्ट्रोलर के विरूद्ध किसी ऐसी क्षति के लिए नहीं की जायगी जो किसी ऐसे कार्य के कारण हुई हो या होने वाली हो जिसे धारा 4 के अधीन दी हुई आज्ञा के अनुपालन में सद्भावना से किया गया हो, या करने का विचार किया गया हो ।

रद्द किया जाना

9–संयुक्त प्रांतीय जूट की बनी वस्तुओं के नियंत्रण का आर्डिनेन्स, 1949, इसके द्वारा रद्द किया जाता है, और उक्त आर्डिनेन्स के रद्द किये जाने पर युनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 6 और 24 के निर्देश इस प्रकार लागू होंगे, मानों उक्त आर्डिनेन्स ऐसा ऐक्ट था जो कि किसी युनाइटेड प्राविंसेज ऐक्ट द्वारा रद्द किया गया था ।

———